परिपत्र सं0. 17 / 2017-सीमाशुल्क

फा.सं0. 520/12/2009-सीमशुल्क-VI(पार्ट)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

****

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई, 2017

सेवा में

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क/सीमाशुल्क(निवारक)
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सभी प्रधान महा निदेशक/महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड
सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमाशुल्क/सीमाशुल्क (निवा.)
सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमाशुल्क (अपीलें)
सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपीलें)
वेबमास्टर, सीबीईसी

विषय:- एयरलाइंस (वाहक) द्वारा प्रस्थान मैनिफेस्ट अपलोड करना- दिनांक 11.08.2016 की अधिसूचना सं0.107/2016-सीमाशुल्क(एन.टी.) का कार्यान्वयन - के संबंध में ।

महोदया/महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को अधिसूचना सं0.107/2016-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 अगस्त 2016 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें उपर्युक्त अधिसूचना में संलग्नित स्वरूप में, प्रशासन, वाणिज्य और परिवहन यात्री सूची अग्रिम यात्री सूचना(यूएन/ईडीआईएफएसीटी पेएएक्सएलएसटी एपीआई) के लिए फ्लैट फ़ाइल प्रारूप में या संयुक्त राष्ट्र / इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के लिए भारतीय सीमाशुल्क हेतु, भारत में लदान के अड्डे से फ्लाइट के छूटने अथवा उड़ान भरने से पन्द्रह मिनट पूर्व सुपुर्द किए गए अंतिम यात्री मैनिफेस्ट और फ्लाइट के प्रस्थान से बारह घण्टे पूर्व इलैक्ट्रानिक रूप में प्री-चेक-इन पैसेंजर मैनिफेस्ट को ट्रांसमिट करना वाहकों से अपेक्षित है ।

2. कुछ वाहकों और उनके सेवा प्रदाओं के साथ इलैक्ट्रानिक ट्रांसमीशन्स के संबंध में परामर्श लेने और परीक्षण करने के बाद, यह निर्णय किया गया है कि 15/05/2017 से, सभी वाहक, एक फ्लैट प्रारूप में भारतीय सीमाशुल्क हेतु, भारत में लदान के अड्डे से छूटने अथवा उड़ान से पंद्रह मिनट पूर्व आउटबाउंड यात्रियों हेतु मैनिफैस्ट्स को इलैक्ट्रानिक रूप में ट्रांसमिट करना आरंभ करेंगे । यह प्रारूप वर्तमान में आने वाले/पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संबंध में वाहक द्वारा प्रसारित होने वाले के सदृय है ।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि वाहक अपने सिस्टम में आवश्यक संशोधनों को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त आउटबाउंड पैसेंजर मैनिफेस्ट्स को छह महीने अर्थात नवंबर 2017 तक की अवधि के भीतर, निर्धारित उड़ान के प्रस्थान से 12 घंटे पहले ट्रांसमिट किए जाने हेतु उत्सर्जित अथवा प्रस्तुत करेंगे ।

4. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित प्रधान आयुक्त/सीमाशुल्क आयुक्त से वाहकों के ध्यान में उपर्युक्त विषय-वस्तु को लाए जाने हेतु सार्वजनिक नोटिसों को जारी किए जाने का अनुरोध किया जाता है ।

5. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, को बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय,

(बि. कोंथौजम)
अवर सचिव(सीमाशुल्क VI)